बोलेरो कार में आग लगने से अकाउंट ऑफिसर जिंदा जला

कालवाड़ स्थित चम्पापुरा में ऑफिस जाते समय रास्ते में हुआ हादसा

जयपुर। राजधानी के कालवाड़ इलाके के चम्पापुरा में मंगलवार सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में अचानक बोलेरो गाड़ी में लगी आग में एक अकाउंट ऑफिसर जिंदा जल गया। अचानक लगी आग में वह इस कदर फंस गया कि गाड़ी से बाहर निकल नहीं पाया।

इससे पहले वह खातीपुरा में अपनी पत्नी को एक निजी हॉस्पिटल

- पत्नी को हॉस्पिटल छोड़ कर निकला था
- पुलिस को संदेह अचानक कैसे भभकी आग

कालवाड़ इलाके के चम्पापुरा में बोलेरो कार में अचानक आग लग गई।

बोलेरो में आग लगने से अकाउंट ऑफिसर जिंदा जल गया।

छोड़ कर ऑफिस के लिए गाड़ी लेकर निकला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है।

थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया मृतक राहुल चौधरी (35) पुत्र गोपाल 246, रघुनाथपुरा, खातीपुरा का रहने वाला था। वह उपभोक्ता विभाग में अकाउंट ऑफिसर था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे चम्पापुरा में सड़क पर एक बोलेरो गाड़ी जलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायर बिग्रेड को मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक चालक सीट पर बैठे राहुल चौधरी की जिंदा जल कर मौत हो गई थी। लोगों ने बताया चलती कार में अचानक आग लग गई। मृतक समय रहते कार से निकल नहीं सका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, एफएसएल टीम को मौके पर बुलवाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

घटना से पहले राहुल चौधरी खातीपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में पत्नी को आंखों की जांच कराने के लिए छोड़ कर ऑफिस के लिए निकला था। घटना की जानकारी मिलने पर राहुल की पत्नी माया (32) को मौके पर बुलाया गया। गाड़ी की पहचान होने के बाद पत्नी निढाल हो गई। उसे कार में बैठाया गया। राहुल चौधरी और माया की शादी 2015 में हुई थी। राहुल आरएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था, जबकि माया टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी रही है।

पुलिस ने बताया आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। हालांकि, दूसरे कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बोलेरो डीजल गाड़ी है इसलिए एकाएक आग फैलने की बात समझ नहीं आ रही है। गाड़ी में आग अंदर ज्यादा है बाहर कम। इसको लेकर भी संदेह है।

जल संसाधन विभाग को मिला ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड-2023

ए.सी.एस. जल संसाधन डॉ. सुबोध अग्रवाल ने ग्रहण किया पुरस्कार

राज्य के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ''ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड - 2023'' से सम्मानित किया गया।

जयपुर। राज्य के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ''ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड - 2023'' से सम्मानित किया गया है। राजस्थान को जल के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है। गोवा में आयोजित अवार्ड समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं आईजीएनपी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विभाग एवं राज्य में सूचना एवं प्रोद्योगिकी में हो रहे नवाचारों के बारे में बताया।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जल सूचना विज्ञान केंद्र को ''जलवायु/आपदा प्रतिरोधी राज्य/शहर बनाने में डिजिटल पहल'' की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचारों को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है।

गांजा तस्करी के अभियुक्त को चार साल की कैद

जयपुर (कासं)। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त शफीकुल इस्लाम को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अवैध मादक पदार्थ के मामलों में बढोतरी हुई है और ऐसे अपराधों से समाज व युवाओं पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि तीन जून, 2006 को सदर थाना पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पीडब्ल्यूडी चौराहे के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति थैला लेकर आता हुआ दिखा, लेकिन पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा। जिस पर शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। इस दौरान थैले की तलाशी में पुलिस को सात पैकिट में कुल आठ किलोग्राम गांजा मिला। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह अल सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचा था और थकान के चलते उसे नींद आ गई थी। इस दौरान पुलिस उसे उठाकर अपने साथ ले गई और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। हिंदी नहीं जानने के कारण उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। ऐसे में उन्हें दोषमुक्त किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

से अभियुक्त को गांजा तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट में अभियोजन ने 1० गवाहों के बयान दर्ज कराए। जिस पर कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

10 दिन में सील खोलो वरना हर दिन का 10 हजार रुपए किराया चुकाए वन विभाग

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरा मिल को जब्त करने के साथ ही परिसर को सील करने की कार्रवाई को गलत मानते हुए विभाग के सील आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने वन विभाग को आदेश दिए हैं कि वह दस दिन में परिसर की सील खोले। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने वन विभाग को हर दिन का दस हजार रुपए किराया चुकाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश सोनी देवी की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित परिसर को आरा मिल की परिभाषा में शामिल किया गया है, लेकिन आरा मिल को भी सील करने का कोई प्रावधान वन अधिनियम में नहीं है। ऐसे में इस अधिनियम के तहत अचल संपत्ति को सील करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि

- राजस्थान हाईकोर्ट ने आरा मिल को जब्त करने और परिसर को सील करने की कार्रवाई को गलत माना

याचिकाकर्ता ने अर्जुन लाल तंवर को अगस्त, 2012 में गांधी पथ, वैशाली नगर स्थित परिसर किराए पर दिया था। जहां अर्जुन लाल ने प्लाईवुड का काम शुरू किया। वहीं बाद में उसने बिना अनुमति और लाइसेंस लिए आरा मिल लगा ली। ऐसे में वन विभाग ने 8 जनवरी, 2013 को उसका सामान जब्त कर परिसर को सील कर दिया। इसके अलावा अर्जुन लाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। याचिका में कहा गया कि अर्जुनलाल से परिसर खाली कराने की डिक्री होने के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से परिसर की सील खोलने की प्रार्थना की, लेकिन विभाग ने सील खोलने से इनकार कर दिया। वहीं इस संबंध में निचली अदालत में पेश प्रार्थना पत्र भी अदालत ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि वन अधिनियम में न तो आरा मिल को जब्त करने का प्रावधान है और ना ही परिसर की सील करने का कोई नियम है। इसके अलावा परिसर सील होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को बिजली बिल सहित अन्य भुगतान करने पड रहे हैं। इसलिए परिसर की सील को खोला जाए। वहीं विभाग की ओर से कहा गया कि आरा मिल की स्थापना नियम, 1983 के तहत आरा मिल का परिसर भी मिल का हिस्सा माना जाएगा और ऐसे में परिसर को सील किया जा सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने माना की वन अधिनियम के तहत परिसर को सील नहीं किया जा सकता है। इसलिए परिसर की सील खोली जाए, वरना विभाग हर दिन का दस हजार रुपए बतौर किराया अदा करे।

जयपुर में मिला नवजात का शव

जयपुर। राजधानी के गलता गेट इलाके में एक पार्क में कचरे में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गलतागेट थाना पुलिस ने बताया कि ईदगाह इलाके में वन विहार कॉलोनी में एक पार्क में नवजात का शव मिलने की जानकारी मिली थी। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। देखा की पार्क में जहां पर कचरा डाला जाता है। वहां पर एक नवजात का शव पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा है कि नवजात का जन्म एक दिन पहले हुआ होगा। शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं, कॉलोनी में आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा हैं। थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम त्रिलोक चंद से बदलकर त्रिलोक चंद मयानी रख लिया है। भविष्य में मुझे त्रिलोक चंद मयानी के नाम से जाना जावे। पता- B-12, राधे अपार्टमेंट, हरीनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान

I Manju Rani legally wedded spouse of army no 15470443Y Ex SWR Late Rajesh Kumar R/O 2/133 SFS Agarwal farm mansarovar jaipur have changed my daughter name From TANYA PELWAR is wrong entered in service record To TANYA CHOUDHARY (DOB 28/4/2003) vide affidavit dated 7aug2023 before district notary Jaipur

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1584 दिनांक-08.08.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 5/98, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री एल. पी. श्रीवास्तव को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2603 दिनांक 11.10.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.12.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवास मण्डल के पत्र क्रमांक 124 दिनांक 19.12.1994 के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री एल. पी. श्रीवास्तव के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.12.1994 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 18.11.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री अनुराग श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोईआपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री अनुराग श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया पाया

निजी खातेदार की योजना बालाजी एनक्लेव के प्लाट नंबर बी-468 के ओरिजनल सोसायटी पट्टा, साईट प्लान, रसीद जेडीए जोन 14 से खो गए है सुचित करें - अरुणा रानी मो 9001000099

मेरे मूल दस्तावेज जेडीए का आवंटन-पत्र सी-25 महल योजना जेडीए स्कीम जो टोंक फाटक के आसपास कहीं गिर गये है। मिलने पर सम्पर्क करें- कमला देवी महेश्वरी, पता-39 सचिवालय कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर मो.9829310044

मेरा प्लाट नं. 417 गोविंदपुरा जेडीए, सांगानेर का रजिस्ट्री का पेज न. 5 कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें- पार्वती देवी 7357530984

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email ID: dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone : 0141-2782772
क्रमांक : DHC-II/1371 **जाहिर आम सूचना** दिनांक : 24.07.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 30/25/11, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 18.610 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 382 दिनांक 29.08.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 03.09.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 6504 दिनांक 07.09.2006 के द्वारा श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री जसवन्त सिंह की मृत्यु दिनांक 03.02.2008 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री औंकार सिंह पुत्र स्व. श्री जसवन्त सिंह ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री औंकार सिंह पुत्र स्व. श्री जसवन्त सिंह के पक्ष में आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक

सतीश पूनिया ने जालसू में विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया

शिक्षा, चिकित्सा, खेल, पेयजल व सड़क क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र के जालसू में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। डॉ. सतीश पूनियां ने जालसू में शिक्षा, चिकित्सा, खेल, पेयजल, सड़क इत्यादि क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी, जिससे आमजन, माताओं-बहनों और युवाओं को काफी सहूलियत मिलेगी। सतीश पूनियां ने जालसू में मुख्य स्टैंड पर सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य का लोकार्पण, जालसू की राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में दो कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य का लोकार्पण, जालसू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी (थ्री डी कलर डॉपलर) एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण, मुण्डिया डामर सडक से कजोड़ जी की ढाणी तक सीसी सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण, साहिब रामपुरा ग्रेवल सडक से लालचंद, रूडमल, प्रभुदयाल की ढाणी की ओर कल्याणपुरा तक सीसी सडक निर्माण कार्य का लोकार्पण, राजकीय विद्यालय, बिहारीपुरा में खेल मैदान का लोकार्पण, नाडा में शिव मंदिर के पास नलकूप निर्माण कार्य का शिलान्यास, भूरावाली में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

राजस्थान को 20.52 करोड़ रुपए जारी

नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गंग नहर परियोजना कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए राजस्थान को 20.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह जानकारी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर दी। शेखावत ने कहा कि उम्मीद है राज्य सरकार समन्वय और सहयोग से इन परियोजनाओं को गति प्रदान करेगी। केंद्र सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार से भी यही अपेक्षा रखती है।

'अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने के बाद भी देश में चीनी की कीमतें स्थिर'

केन्द्र सरकार का दावा है कि देश में चीनी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता है

जयपुर (कासं)। चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि होने के बाद भी देश में इसकी खुदरा कीमत स्थिर बनी हुई हैं। पिछले 5 वर्षों में केंद्र के हस्तक्षेप के कारण चीनी सेक्टर आत्मनिर्भर हो गया है। भारत सरकार देश में चीनी की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने में सफल हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें अप्रैल-मई 2023 में एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। चीनी की घरेलू कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की मामूली मुद्रास्फीति देखी गयी है, जो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में बढ़ोतरी के अनुसार है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें भारत की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक हैं। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 43 प्रति किलोग्राम है और इसके इसी के आसपास रहने की संभावना है।

सरकार द्वारा समय पर किये गये हस्तक्षेप ने चीनी क्षेत्र को संकट से बाहर ला दिया है। चीनी क्षेत्र के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और देश में गन्ने और चीनी के पर्याप्त से अधिक उत्पादन ने यह सुनिश्चित किया है कि चीनी प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध रहे। चालू चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) 2022-23 के दौरान, भारत में लगभग 43 एलएमटी के इथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्जन के बाद 330 एलएमटी चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार देश में कुल सुक्रोज उत्पादन लगभग 373 एलएमटी होगा जो पिछले 5 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है।

इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है; हालाँकि, खपत उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। जिससे, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जुलाई 2023 के अंत में, भारत के पास लगभग 108 एलएमटी का चीनी स्टॉक है, जो वर्तमान एसएस 2022-23 के शेष महीनों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और सीज़न के अंत में लगभग 62 एलएमटी के अनुकूलतम स्टॉक के लिए भी पर्याप्त है। इस प्रकार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष उचित मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध है।

इसके अलावा, उचित और लाभकारी मूल्य के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करके गन्ना किसानों के हितों पर ध्यान दिया जा रहा है।

2021-22 तक के चीनी सीज़न के लिए गन्ना किसानों का 99.9 प्रतिशत गन्ना बकाया चीनी मिलों द्वारा पहले ही चुकाया जा चुका है। चालू चीनी सीजन 2022-23 के लिए भी, 1.05 लाख करोड़ से अधिक के भुगतान के साथ, आज की तारीख तक लगभग 93 प्रतिशत गन्ना बकाया भुगतान चुकाया जा चुका है। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा अपनी उचित नीतियों, स्थिर कीमतों और किसानों के गन्ना बकाया की समय पर भुगतान के साथ चीनी क्षेत्र में सुधार करके सभी तीन प्रमुख हितधारकों, उपभोक्ताओं, किसानों और चीनी मिलों के हितों की रक्षा की गई है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1592 दिनांक-08.08.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 115/51, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 50.93 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्रीमती रजिया बानो पत्नी श्री शौकत अली को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2144 दिनांक 30.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 28.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवास मण्डल के पत्र क्रमांक 4320 दिनांक 27.09.2002 के द्वारा श्री थावर दास पुत्र श्री कल्लूमल के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री थावर दास की मृत्यु दिनांक 25.02.2013 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान श्री घनश्याम दास, श्री अजय कुमार एवं श्री भगवान पुत्रान स्व.श्री थावर दास ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री घनश्याम दास, श्री अजय कुमार एवं श्री भगवान पुत्रान स्व.श्री थावर दास के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1591 दिनांक-08.07.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 10/647, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री राधा कृष्ण पुत्र श्री कुन्ज किशन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 350 दिनांक 03.02.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास भौतिक कब्जा दिनांक 07.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 152 दिनांक 03.02.1994 के द्वारा श्रीमती कृष्णा सेन पत्नी श्री प्रशान्त सेन के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.07.1999 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती कृष्ण सेन की मृत्यु दिनांक 28.06.2015 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री श्रीमती अनुपमा घोष पत्नी श्री कनक घोष ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्रीमती अनुपमा घोष पत्नी श्री कनक घोष के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1431 दिनांक-28.07.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 64/268, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 30.750 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री कैलाश चन्द बंसल पुत्र श्री मेवाराम बंसल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 8567 दिनांक 20.02.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास भौतिक कब्जा दिनांक 28.03.1986 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3144 दिनांक 09.03.2004 के द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 28.03.2004 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री मुकेश कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 28.02.2023 को हो जाने के कारण इनकी माताजी श्रीमती सुशीला देवी जैन पत्नी स्व. श्री महावीर प्रसाद जैन ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होतो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पुस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोईआपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्रीमती सुशीला देवी जैन पत्नी स्व. श्री महावीर प्रसाद जैन के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक-591 दिनांक-14.6.2023
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 5/57 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्री दीन मोहम्मद को आवांटन पत्रांक 1809 दिनांक10.9.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 4411 दिनांक 24.12.2010 के द्वारा इनके नाम के साथ इनके पुत्र श्री असगर का नाम जोड़कर उक्त आवास श्री दीन मोहम्मद एवं श्री असगर के सयुक्त नाम से किया गया। श्री दीन मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 13.03.2021 को हो चुकी है। श्री असगर ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री दीन मोहम्मद की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अन्य वारिसानों का घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, उनके पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 13.03.2021 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 5/57 अरावली, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता हैकि उक्त आवास संख्या 5/57 अरावली विहार, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियों, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री असगर पुत्र स्व. श्री दीन मोहम्मद के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 5/57 अरावली विहार भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
(पी.एल.मीणा) आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी

राजस्थान सरकार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उदयपुर (राज.)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत उदयपुर जिले के लिए गठित
प्रकरण संख्या 70/22
फर्म वंदना 1020 विरुद्ध ए.सी. इंजिनियरिंग वर्क्स
शिकायत कर्ता विपक्षी
शिकायत बाबत : धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के परिवाद की छाया प्रति संलग्न
नोटिस
निमित ए.सी. इंजिनियरिंग वर्क्स जरिये - प्रोपराइटर चतुराराम पुत्र खरथा राम प्लॉट नं.-3. बालाजी विहार-42, बाढ़ारना के पास, जयपुर (राज.)
आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की एक प्रति भेजकर सूचित किया जाता है कि आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उदयपुर (राज.) के कार्यालय/न्यायालय मे दिनांक 31.08.2023 को समय 9:30 ए एम बजे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत करे कि आपको उक्त शिकायत के बाबत क्या कहना है तथा अपने कथन की पुष्टि में संबंधित साक्ष्य दस्तावेज व शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें।
यदि आप या आपके अधिकृत प्रतिनिधी उक्त तिथि को समय व स्थान पर उपस्थित नहीं हुए तो आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।
दिनाक 07.07.2023 को जारी किया गया।
आज्ञा से
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उदयपुर (राज.)

विधायको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जि.जयपुर
कान्ता देवी वगैरह बनाम अर्जुन वगैरह
वाद पत्र सं. 7/21
बाद विभाजन आराजी व स्थायी विशेषज्ञ
बनामः-1 अर्जुन पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर2-छोटू पुत्र काना जाति अहीर 3-तीजदेवी पत्नि लक्ष्मण जाति अहीर 4-नन्छी पुत्री लक्ष्मण जाति अहीर 6-नरसाराम पुत्र नारायण जाति अहीर 7-नरसाराम पुत्र स्व.नारायण 8-सागर मल पुत्र स्व.नारायण 9-श्रवणीदेवी पुत्री स्व.नारायण 10-मालीदेवी पुत्री स्व.नारायण 11-पतासी देवी पुत्री हनुमान जाति अहीर 12-प्रेम पुत्री लक्ष्मण जाति अहीर 13-बसंती पुत्री लक्ष्मण जाति अहीर 14-बाबूलाल पुत्र भैरू जाति अहीर 15-विदानी पुत्री हनुमान जाति और 16-विमला पुत्री हनुमान जाति अहीर 17- बोदूराम पुत्र हनुान जाति अहीर 18-भूरी देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय19रामस्वरूप पुत्र स्व.भगवानसहाय 20-बलराम पुत्र स्व.भगवान सहाय, 21 लच्छू पुत्र स्व.भगवान सहाय 22-भागचन्द पुत्र महादेव जाति अहीर, 23-मुकेश पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर 24-मदन पुत्र भैरू जाति अहीर 25-मदन पुत्र माना जाति अहीर 26-मालीदेवी पुत्री हनुमान जाति अहीर 27- मोहन पुत्र महादेव जाति अहीर 28-मोहनी पुत्री हनुमान जाति अहीर 29- रामनाथ पुत्र हनुमान जाति अहीर 30-नरेश पुत्र स्व.शैतान 31-कैलाश चन्द पुत्र शैतान 32-सावित्री देवी पत्नि स्व.शतान 33-शिशपाल पुत्र भैरू जाति अहीर 34-संतोष पुत्री लक्ष्मण जाति अहीर 35-संतोष पुत्री हनुमान जाति अहीर 36- सरजू पुत्री हनुमान जाति अहीर 37-सुरजी पत्नि महादेव जाति अहीर 38-सागरमल पुत्र नारायण जाति अहीर, समस्त निवासीयान बघाल तहसील रेनवाल जिला जयपुर राज.39-दी जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.शाखा रेनवाल जरिये प्रबन्धक 40-राज.मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बघाल जरिये-प्रबन्धक 41-भारतीय स्टेट बैंक शाखा कि.रेनवाल जरिये-प्रबन्धक वादी ने उपरोक्त आपके विरुद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 21/03/2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे स्यक अनुदेशक दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन के साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता.20-7-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।
न्यायधीश सहायक कलेक्टर, सांभर लेक (जयपुर)

मालवीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालयः ऐ-48 सुदर्शनपुरा ऐनक्लेव, गोलिमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर 302001
एम.यू.सी.बी/27/08/2023-24 दिनांक 09.08.2023
अधिसूचना
बैंक के समस्त सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा (प्रतिनिधि सभा)वर्ष 2022-2023 की बैठक दिनांक 25.08.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे, बैंक के प्रधान कार्यालय, ऐ-48 सुदर्शनपुरा ऐनक्लेव, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर पर होगी। जिसमें निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।
विचारणीय विषय निम्न है।
1. बैंक की गत सामान्य सभा(प्रतिनिधि सभा) की बैठक दिनांक 17.09.2022 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. बैंक के निदेशक मण्डल के चौबीसवें वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकार करना।
3. बैंक के 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षित संतुलन चित्र एंव लाभ हानि खाते की स्वीकृति प्रदान करना।
4. बैंक की वर्ष 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट एवं उसकी पूर्ती रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान करना।
5. बैंक की वर्ष 2023-2024 की अधिकतम साख सीमा निर्धारित करना ।
6. बैंक की वर्ष 2023-2024 की भावी कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करना।
7. बैंक के वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लेखों के अंकेक्षण हेतु सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति करने पर विचार।
8. बैंक के वर्ष 2022-2023 के लाभ वितरण की स्वीकृति प्रदान करना।
9. बैंक के वर्ष 2023-2024 के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन करना एवं वर्ष 2022-23 में बजट से अधिक हुए खर्चो की पुष्टि करना।
10. बैंक के उपनियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर विशेष प्रस्ताव पास करना।
11. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिया जावेगा।
कोरम के अभाव में स्थगित सामान्य सभा (प्रतिनिधि सभा) नियमानुसार आयोजित की जावेगी जो दिनांक 25.08.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे उसी स्थान पर सम्पन्न होगी। स्थगित बैठक में उपरोक्त विचारणीय विषय ही रहेंगें।
आदेशानुसार, प्रबन्ध निदेशक